समाज कल्याण विभाग,

बिहार सरकार

आदेश

विषयः ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओ के DBT से भुगतान की मार्गदर्शिका के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाये. मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाऔ के सुचारू एवं ससमय बनाने हेतु पूर्व की व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है| सामाजिक सहायता छत्र योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अतिरिक्त सम्मिलित योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, बिहार शताब्दी कुष्ट कल्याण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना तथा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सक्षम कार्यालय के अंतर्गत DBT Cell द्वारा विकसित एवं संचालित ई-सुविधा पोर्टल पर उक्त योजनाओं के लाभुको की विवरणी विहित प्रपत्र में स्वीकृति उपरांत जिला/प्रखंड स्तर से संधारण करना सुनिश्चित किया जायेगा |

ई-सुविधा पोर्टल के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं के लिए **Beneficiary Management System** विकसित किया गया है जिसपर स्वीकृत किये गये लाभुकों का विवरण संधारित किया जाना है ताकि पैरेंट्स-चाइल्ड मोड से भुगतान हेतु अग्रेतर कारवाई की जा सके।

ई- सुविधा पर सभी सम्बंधित योजनाओ के लाभुकों की विवरणी उनके बैंक खाता के साथ संधारित की जाएगी तथा लाभुकों की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लॉक कर digital signature/ E-sign किया जायेगा और उन्हें भुगतान हेतु अनुमोदित किया जायेगा| विदित हो की सभी योजनाओ के लिए वार्षिक आवंटन/मांग के आलोक में जिलावार राशि के लिए limit निर्धारित किया जायेगा जिससे अधिक की राशि किसी भी परिस्थिति में जिला को देय नहीं होगी| limit का निर्धारण तथा उसे बढ़ाने के लिए DBT कोषांग, सक्षम को अनुरोध किया जा सकता है | सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा digital signature/ E-sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट तो होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से लाभुक के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा | ई-सुविधा पोर्टल पर जिला/प्रखंड के स्तर से की गई लाभुकों की इंट्री में आवश्यक रूप से उसके स्वीकृति से सम्बंधित आदेश को पीडीएफ के रूप में अपलोड किया जाना आवश्यक है| इसमें यह सुविधा भी दी गई है की मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत यदि आवश्यक हो तो भुगतानोपरांत राशि की विवरणी उपलब्ध कराने पर उतनी राशि उसी खाता में reimbursement के रूप में भेज दी जाएगी|

लाभुकों की सूची को सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लॉक कर digital signature/ E-sign किया जायेगा और तभी उन्हें भुगतान हेतु स्वीकृत माना जायेगा | भुगतान के लिए प्रक्रिया हेतु अनुमोदित करने से पूर्व सभी सहायक निदेशक आवश्यक रूप से संतुष्ट हो ले की पोर्टल पर लॉक की गई लाभुक की विवरणी तथा राशि की विवरणी सही है| digital signature/ E-sign की सुविधा उपलब्ध होने तक सहायक निदेशक द्वारा ई-सुविधा पर लॉक किये गए डाटा को ही रेडी फॉर पेमेंट मानते हुए राज्य स्तर से भुगतान किया जायेगा |

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का यह दायित्व होगा कि नियमित रूप से ई- सुविधा पोर्टल में लाभार्थियों की विवरणी विशेषकर बिहार शताब्दी कुष्ट कल्याण योजना में मृत लाभुक के deletion की प्रक्रिया नियमित रूप से सम्यक परिक्षण/सत्यापन के पश्चात ई-सुविधा पोर्टल पर लॉक कर digital signature/ E-sign करना सुनिश्चित करेंगे |

राशि की उपलब्धता के आलोक में ready for payment फाइल पर निदेशक के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी तत्पश्चात अधिकृत पदाधिकरियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपादित कर भुगतान की प्रकिया की जायेगी और लाभार्थियों के खाता में सीधे भुगतान (DBT) किया जायेगा | DBT हो जानें के उपरांत ready for payment फाइल वस्तुतः Paid फाइल बन जायेगा जिसके hardcopy को प्रत्येक प्रखंड / पंचायत में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संधारित किया जायेगा |

"सक्षम" कार्यालय के अंतर्गत गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कोषांग राज्य स्तरीय DBT की पूरी प्रक्रिया का संधारण करना सुनिश्चित करेगी | साथ ही hardcopy में सारांश (summary) को अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निदेशक द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित कर कार्यालय में अभिलेखित कर सुरक्षित रखेगी |

ई-सुविधा पर सम्मिलित योजनाओ के इंट्री तथा लाभुक को होने वाले भुगतान की प्रक्रिया की विवरणी योजनावार निम्नवत है-

1. <u>मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना</u>

1.1 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्याप्नोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई-सुविधा पोर्टल पर इन्ट्री किया जायेगा | आवश्यकता अनुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई-सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है |

1.2 स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करनें के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता और आई.एफ.एस. कोड है या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं |

1.3 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत भुगतान के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं| प्रथम विकल्प के तहत प्रखंड से योग्य लाभुक की विवरणी स्वीकृति आदेश के साथ बैंक खाता की विवरणी सहित ई-सुविधा पर इंट्री की जाएगी तथा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक

सुरक्षा कोषांग के माध्यम से लॉक एवं digital signature/ E-sign किया जायेगा | सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा digital signature/ E-sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट तो होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से लाभुक के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा | द्वितीय विकल्प के तहत लाभुक को भुगतान करने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी यदि reimbursement की मांग करते है तो भी ई-सुविधा के माध्यम से सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा digital signature/ E-sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट तो होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से प्रखंड विकास पदाधिकारी के बैंक खाता में राशि प्रेषित किया जायेगा |

2. <u>राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना</u>

2.1 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत सभी स्वीकृत लाभुकों की विवरणी उनके बैंक खाता के विवरणी के साथ विहित प्रपत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से ई-सुविधा पर इंट्री क़िया जायेगा, आवश्यकता अनुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पंदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई-सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है, जिसे सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लॉक कर digital signature/ E-sign किया जायेगा| इसके उपरांत सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से वेब सर्विस के द्वारा लाभुको की सूची को NSAP PPS पर माइग्रेट किया जायेगा तथा पेमेंट फाइल PFMS पर अपलोड होने के उपरांत राज्य स्तर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा डिजिटल sign करने के उपरांत लाभुक को भुगतान PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा.इस हेतु DBTCell द्वारा PFMS से समन्वय बनाये रखा जायेगा ताकि किसी समस्या / त्रुटि का निराकरण अविलम्ब हो सके |

2.2 राशि की उपलब्धता के आलोक में ready for payment फाइल पर निदेशक के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी तत्पश्चात अधिकृत पदाधिकरियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपादित कर भुगतान की प्रकिया की जायेगी और लाभार्थियों के खाता में सीधे भुगतान (DBT) किया जायेगा |

3. <u>मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना</u>

3.1 मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्याप्नोपरांत सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा ई-सुविधा पोर्टल पर किया जायेगा |

3.2 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओ यथा- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ई-सुविधा पर लॉक एवं digital signature/ E-sign किये गए लाभुक के लिए बैंक के पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में आवश्यक राशि क्रेडिट होगी| तदुपरांत सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त अनुरोध एवं बैंक एडवाइस के आधार पर विहित लाभुक के नाम से 3 साल के लॉक इन अवधि के लिए Fixed Deposit तैयार कर लाभुक को बैंक द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा | परिपक्वता के उपरांत लाभुक को ब्याज सहित कुल राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर अथवा सम्बंधित बैंक के बचत खाता में उपलब्ध होगा |

4. बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना

4.1 योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्याप्नोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई-सुविधा पोर्टल पर किया जायेगा| आवश्यकता अनुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई-सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है | ई-सुविधा पोर्टल पर भुगतान हेतु लॉक एवं digital signature/E-sign से प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा digital signature/E-sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट टू होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से लाभुक के बैंक खाता में राशि प्रेषित किया जायेगा | जिन लाभुको का खाता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है उनके लिए वर्तमान वितीय वर्ष में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी का खाता संख्या इंट्री किया जा सकता है एवं उसी खाता में राशि का भुगतान किया जायेगा ताकि वैसे सभी लाभुको को लाभ प्रदान किया जा सके |

4.2 स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करनें के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता है या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं |

4.3 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में बैंक खाता, आधार कार्ड और लाभार्थी के नाम में किसी प्रकार के अंतर को दूर करनें के उपरांत ही पोर्टल में अपलोड किया जायेगा | इसके आलोक में आवश्यकतानुसार नया बैंक खाता खोलने और/ या आधार में संशोधन करनें की पूरी व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और त्रुटि-सुधार कैंप का भी आयोजन नियमित रूप से किया जायेगा |

5. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

5.1 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिए सभी पंचायत सचिव तथा नगर निकाय क्षेत्र में सभी टैक्स दरोगा अथवा अन्य प्राधिकृत सरकारी कर्मी द्वारा मृत्यु

उपरांत लाभुकों से सम्बंधित विवरणी समेकित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्याप्नोपरांत जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराई जाएगी तथा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से ई-सुविधा पर संधारित की जाएँगी |

5.2 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराये गए बैंक खाता संख्या में किया जायेगा| वैसे लाभुक जिनका भुगतान पंचायत सचिव/नगर निकाय के लिए प्राधिकृत कर्मी द्वारा पूर्व में किया जा चूका है किन्तु राशि reimburse नहीं किया जा सका है, उन लाभुकों की विवरणी सत्यापन उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समेकित कर विहित प्रपत्र में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराई जाएगी| सहायक निदेशक द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में प्राप्त सत्यापित सूची को ई-सुविधा पोर्टल पर इंट्री करना सुनिश्चित किया जायेगा |

5.3 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान सीधे लाभुक को न होकर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के बैंक खाता में तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत /नगर निगम के खाता में देय होगा | इसके लिए वैसे लाभुक जिनका भुगतान पंचायत सचिव/नगर निकाय के लिए प्राधिकृत कर्मी द्वारा पूर्व में किया जा चूका है किन्तु राशि reimburse नहीं किया जा सका है उन लाभुकों की विवरणी सत्यापन उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समेकित कर विहित प्रपत्र में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराइ जाएगी| निर्धारित मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से मृत व्यक्ति की विवरणी के साथ हस्ताक्षरित प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराया जायेगा| प्राप्त सूची को सहायक निदेशक के कार्यालय से इसे ई-सुविधा में इंट्री की जाएगी तथा लॉक एवं digital signature/ E-sign करते हुए भुगतान हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध किया जायेगा| सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा digital signature/ E-sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट से होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से पंचायत/नगर निकाय/नगर निगम के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा |

6. <u>MIS एवं अनुश्रवन</u>

6.1 DBT कोषांग द्वारा ई-सुविधा प्रणाली संचालित की जाती रहेगी और लाभार्थी एवं सर्व साधारण को नियमानुसार अनुमान्य सूचना विभिन्न माध्यमों यथा website, call centre, IVRS आदि से वांछित सूचना प्रदान करेगी | यह कार्य किसी agency को outsource भी किया जा सकेगा अथवा बैंक से भी यह सेवा प्राप्त की जा सकेगी |

6.2 किसी लाभार्थी की मृत्यु अथवा पोर्टल में त्रुटिपूर्ण विवरणी के कारण गलत भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली की कार्रवाई करनें की जिम्मेवारी सम्बंधित प्रखंड विकास

पदाधिकारी/ सहायक निदेशक तथा उसके वसूली सुनिश्चित करानें की जिम्मेवारी सम्बंधित सहायक निदेशक की होगी | पुरे मामले का विधिवत अनुश्रवण करनें और उपयोगिता प्रमाणक देनें की जिम्मेवारी "सक्षम" अंतर्गत स्थापित DBT कोषांग की होगी |

6.3 ई-सुविधा पोर्टल पर लाभुकों के डाटा का संधारण एवं पेमेंट फाईल के निर्माण में अपनाई गयी प्रक्रिया की अहम् भूमिका है | इसके आलोक मे DBT Cell की जिम्मेवारी होगी कि पुरा database शुद्व और tamper free रहे तथा software में भी कोई bug न रहे | इसके लिए नियमित रूप से सघन जांच की जाएगी और system/software में आवश्यकतानुसार सुधार किया जायेगा | साथ ही इसके लिए सभी आवश्यक प्रमाणक यथा security audit certificate आदि को प्राप्त करना तथा उसे अद्यतन बनाये रखना भी अनिवार्य होगा |

विश्वासभाजन

(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांकः- 01/सा0 सु0 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान-02/2011 (पार्ट)- 1433 पटना, दिनांकः- 5/10/18

प्रतिलिपिः-

1. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा-सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , सक्षम